न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-469/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) अमर कुमार राम, पिता-रतिचन्द राम,
सा0-कौआकोह, वार्ड नं0-04, थाना-बरदाहा ओ0पी0, जिला-अररिया

(2) पंकज कुमार राम, पिता-स्व0 कैलू राम,
सा0-कौआकोह, वार्ड नं0-04, थाना-बरदाहा ओ0पी0, जिला-अररिया

(3) रतिचन्द्र राम, पिता-बचकन राम,
सा0-कौआकोह टेरा, पो0-अररिया
(टी0भी0एस0 स्पोर्ट मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38W3743,
चेचिस संख्या-MD625PF51J1N01733,
ईजन संख्या-PF5NJ1301242 के मालिक)..विपक्षी

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1365/हि0शा0, दिनांक 25.07.2020) के आलोक में कुर्साकाँटा थाना कांड सं0-51/20, दिनांक-10.03.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त टी0भी0एस0 स्पोर्ट मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38W3743, चेचिस संख्या-MD625PF51J1N01733, ईजन संख्या-PF5NJ1301242 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु विपक्षियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई। विपक्षियो को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षीगण उपस्थित नही हुये। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0-50/-रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1365/हि0शा0, दिनांक 25.07.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि सहायक अवर निरीक्षक, कुर्साकांटा थाना द्वारा दिनांक 10.03.2020 को समय 10.00 बजे गुप्त सूचना के आलोक में मद्यनिषेध गृहरक्षक बल के साथ सरकारी वाहन से थाना से प्रस्थान किए। पुलिस बल द्वारा कपड़फोरा बाजार, वार्ड नं0-9, किताब चंद सिंह के पान दुकान के पास सघन वाहन चेकिंग प्रारंभ किये। वाहन चेकिंग के दौरान समय करीब 12.30 बजे मेंहदीपुर के तरफ से एक मोटर साईकिल पर विपक्षीगण बीच में जूट के बोरा में कुछ सामान पीछे लेकर आ रहा था। पुलिस बल को वाहन चेकिंग करते देख कर विपक्षीगण मोटर साईकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल के सहयोग से घेराबंदी कर विपक्षियों को मोटर साईकिल सहित पकड़ा गया। वहाँ उपस्थित भीड़ में से दो स्वतंत्र साक्षी-1. रामदेव राम, पिता-शिवनाथ राम, सा0-कपड़फोरा, वार्ड नं0-09, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया एवं 2. संजय विश्वास, पिता-केदारनाथ विश्वास, सा0-कपड़फोड़ा, वार्ड नं0-09, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया के समक्ष तलाशी के उपरांत विपक्षी पंकज राम के हाथ में लिए जूट का बोरा का जमा तलाशी लेने पर उक्त बोरा से 300 मिली लीटर के बोतल में कुल 50 बोतल कुल मात्रा-15 लीटर नेपाली उमंगा देशी शराब बरामद हुआ। पकड़ाये टी0भी0एस0 स्पोर्ट मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0-BR38W3743, ईजन संख्या-PF5NJ1301242, चेचिस संख्या-MD625PF51JIN01733, के डिक्की से 300 मिली लीटर के बोतल में कुल-20 बोतल मात्रा 06 लीटर नेपाली उमंगा देशी शराब कुल-70 बोतल कुल मात्रा 21 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद हुआ। बरामद शराब के बारे में विपक्षियो से पूछताछ करने पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बरामद नेपाली उमंगा शराब एवं टी0भी0एस0 स्पोर्ट मोटर साईकिल	

अधिहरण वाद संख्या-469/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	रजिस्ट्रेशन नं0-BR38W3743, ईंजन संख्या-PF5NJ1301242, चेचिस सं0-MD625PF51JIN01733 को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षियो के विरूद्ध कुर्साकाँटा थाना कांड सं0-51/20, दिनांक-10.03.2020, धारा- 30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षियो द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षियो द्वारा जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38W3743, ईंजन संख्या-PF5NJ1301242, चेचिस संख्या-MD625PF51JIN01733 का उपयोग अवैध शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38W3743 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार **कुर्साकाँटा थाना कांड सं0-51/20, दिनांक-10.03.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38W3743, ईंजन संख्या-PF5NJ1301242, चेचिस संख्या-MD625PF51J1N01733 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1023/विधि, अररिया, दिनांक 8.4.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया	

न्यायालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता अररिया (बिहार)